



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277118
CG-DL-E-13102026-277118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5397]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948

No. 5397]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2026

(आयकर)

का.आ. 5611(अ).— जबकि, आय पर करों और पूंजीगत लाभों और पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन देने के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारतीय गणराज्य और मॉरीशस सरकार के बीच समझौते को संशोधित करने वाले एक प्रोटोकॉल पर दिनांक 07 मार्च, 2024 को पोर्ट लुईस में हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुलग्नक (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रोटोकॉल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में निर्धारित किया गया है;

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल दिनांक 10 अगस्त, 2026 को लागू हुआ, जो कि उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचनाओं में से बाद की तारीख है;

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 159(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक में उल्लिखित उक्त प्रोटोकॉल अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत संघ में लागू किया जाएगा।

अनुलग्नक

दोहरे कराधान से बचने और आय और पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए और आपसी व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस सरकार के बीच समझौते में संशोधन प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस गणराज्य की सरकार,

दोहरे कराधान से बचने और आय और पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम और आपसी व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस सरकार के बीच कन्वेंशन में संशोधन करने की इच्छा रखते हुए, 24 अगस्त, 1982 को पोर्ट लुइस में हस्ताक्षर किए गए, जैसा कि 10 मई, 2016 को पोर्ट लुइस में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल द्वारा यथासंशोधित (इसके बाद "कन्वेंशन" के रूप में संदर्भित);

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

कन्वेंशन की प्रस्तावना को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस गणराज्य की सरकार,

कर अपवंचन या परिहार के माध्यम से गैर-कराधान या कम कराधान के अवसर सृजित किए बिना इस कन्वेंशन द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में दोहरे कराधान को समाप्त करने का इरादा है (तीसरे क्षेत्राधिकार के निवासियों के अप्रत्यक्ष लाभ के लिए इस कन्वेंशन में प्रदान की गई राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी व्यवस्था के माध्यम से),

इस प्रकार सहमत हुए हैं:”

अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 27क के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़कर कन्वेंशन में संशोधन किया जाएगा:

“अनुच्छेद 27ख

लाभों की हकदारी

इस कन्वेंशन के अन्य उपबंधों के होते हुए भी, इस कन्वेंशन के तहत आय की किसी मद के संबंध में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि, सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि वह लाभ प्राप्त करना किसी भी समझौते या लेन-देन मुख्य उद्देश्यों में से एक था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस लाभ में, जब तक कि यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि इन परिस्थितियों में वह लाभ देना इस कन्वेंशन के प्रासंगिक प्रावधानों के विषय और उद्देश्य के अनुसार होगा।”

अनुच्छेद 3

1. प्रत्येक अनुबंधित राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानून द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में दूसरे को सूचित करेगा। यह प्रोटोकॉल इन अधिसूचनाओं की बाद की तारीख से लागू होगा।

2. इस प्रोटोकॉल का उपबंध प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख से प्रभावी होगा, तारीख की परवाह किए बिना, जिस तारीख को कर लगाए जाते हैं या कर-योग्य वर्षों जिससे कर संबंधित हैं।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी, विधिवत अधिकृत, ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

2024 के मार्च माह के इस 7 वे दिन को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में किया गया, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों की भिन्न व्याख्या के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य
की सरकार के लिए

मॉरीशस गणराज्य
की सरकार के लिए

[फा. सं. 135/2026/फा. सं. 500/03/2012-एफटीडी-II]

भास्कर गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2026.

(Income-Tax)

S.O. 5611(E).— Whereas, a Protocol amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Mauritius for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains and for the encouragement of mutual trade and investment, was signed at Port Louis on the 7th day of March, 2024, as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as the said Protocol);

And whereas, the said Protocol entered into force on the 10th day of August, 2026, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required for giving effect to the said Protocol in accordance with paragraph 1 of Article 3 of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 159(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India, in accordance with Article 3 of the said Protocol.

ANNEXURE

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF MAURITIUS

**FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS AND FOR THE ENCOURAGEMENT
OF MUTUAL TRADE AND INVESTMENT**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mauritius,

Desiring to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Mauritius for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, and for the encouragement of mutual trade and investment, signed at Port Louis on 24th August, 1982, as amended by the Protocol signed at Port Louis on 10th May 2016 (hereinafter referred to as “the Convention”);

Have agreed as follows:

Article 1

The Preamble of the Convention shall be replaced by the following:

“The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mauritius,

Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this Convention without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),

Have agreed as follows:”

Article 2

The Convention shall be amended by adding after Article 27A the following new Article:

“Article 27B

ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.”

Article 3

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications.

2. The provisions of this Protocol shall have effect from the date of entry into force of the Protocol, without regard to the date on which the taxes are levied or the taxable years to which the taxes relate.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Port Louis on this 7th day of March in the year 2024, in the English and Hindi languages, both texts equally authentic. In the case of divergent interpretation of the texts, the English text shall prevail.

**For the Government of
the Republic of India**

**For the Government of
the Republic of Mauritius**

[F. No. 135/2026/F. No. 500/03/2012-FTD-II]

BHASKAR GOSWAMI, Jt. Secy.